न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 04 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 7

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
2. लखवीर सिंह पुत्र जसवंत सिंह माता गुरदयाल कौर पुत्री सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
3. हरजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह माता गुरदयाल कौर पुत्री सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
4. मुखत्यार कौर पत्नी हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
5. गुरप्रीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
6. अमरजीत सिंह पुत्र जगनंदन सिंह माता हरदयाल कौर पुत्री सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)
   जरिए मुखत्यारेआम – इन्द्रजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जटसिख निवासी हरिया पत्ती वाडा दराका तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट(पंजाब)

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. मनप्रीत सिंह पुत्र नामदार सिंह जाति जटसिख निवासी 60 जीबी बी तहसील व जिला अनूपगढ़ राज0
2. तहसीलदार(भू.अ.) अनूपगढ़

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. श्री जुल्फकार खान, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बलदेव सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. तहसीलदार, अनूपगढ, प्रत्यर्थी सं. 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 17.08.2023 जिसके द्वारा चक 60 जीबी बी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 40 प.नं. 244 / 463 की कुल 3.163है. कमाण्ड भूमि का इंतकाल वसीयत दिनांक 18.04.1980 के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से दर्ज किया गया हैं से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा सरदारा सिंह की फर्जी वसीयत दिनांक 18.04.1980 एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से करवा लिया। प्रत्यर्थी सं. 2 के द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थीगण के द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था, लेकिन अपीलार्थीगण के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देते हुए [illegible] आदेश विरूद्ध अपीलार्थीगण पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी सं. 2 के द्वा[illegible] दिन में ही समस्त कार्यवाही पूर्ण कर नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष [illegible] वसीयत के समय प्रत्यर्थी सं. 1 का जन्म भी नहीं हुआ था। [illegible] प्रत्यर्थी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। अपील [illegible] आलौच्य आदेश दिनांक 17.08.2023 को निरस्त कर मृतक सरदारा सिंह की कृषि भूमि [illegible] विरास्तन इंतकाल दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के तहत विवादित नामान्तरकरण की अपील 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई का अधिकारी इस न्यायालय को नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण इसी स्तर पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:46 IST
Reason: SelfAttested

5. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा मुख्य रूप से निवेदन किया गया हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाया गया हैं। प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया हैं कि विवादित इंतकाल आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रत्यर्थी अधिवक्ता के द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों की छायाप्रति प्रस्तुत की :–

1. आरआरडी 1993 पेज सं. 28 निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, निगरानी सं. 8/91 अजमेर, रामा बनाम लक्ष्मी नारायण आदि निर्णय दिनांक 28.09.1992
2. आरएलडब्ल्यू 2010(2) आरजे पेज सं. 1328 निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, सं. निगरानी/एलआर/3783/2006/पाली हिम्ताराम बनाम राकेश आदि निर्णय दिनांक 13.08.2010

- धारा 135 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निम्न प्रकार से हैं –

135. Procedure on report – (1) The Tehsildar, on receiving such report or upon the fact coming otherwise to his knowledge, shall make such inquiry as appears necessary and in undisputed cases, if the succession or transfer or other acquisition appears to have taken place, shall record the same in the annual registers.

(2) If the succession or transfer or other acquisition is disputed, the Tehsildar shall, if competent under this Act or any other law for the time being in force decide such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision.

6. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी इन्द्रजीत सिंह के द्वारा विरास्तन नामान्तरण का आवेदन प्रस्तुत किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई कर निर्णय पारित किया गया हैं इसका अंकन आदेशिका एवं निर्णय में उपलब्ध हैं। अतः यह स्पष्ट हैं कि आलौच्य आदेश धारा 135(2) के तहत विवादित इन्तकाल तस्दीक किया गया हैं। प्रत्यर्थी ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। उक्त न्यायिक दृष्टांतो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। अपीलार्थी को चाहिए था कि वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अपील इस न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

7. लिहाजा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)